न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 45/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी बान्दरा		श्रीमती पप्पु पत्नी स्व. श्री निम्बाराम कौम माली निवासी सरका पार तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 18.12.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.10.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान सर का पार के खसरा नम्बर 769/867 में रकबा 0–16 बीघा किस्म गै.मु. में से रकबा 0–16 बीघा एवं खसरा नंबर 769 रकबा 6.10 बीघा किस्म गै.मु. में से 3.05 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर व ढाणी बनाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी वकील द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर लिखित जवाबदावा प्रस्तुत कर, उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर, बाड़मेर में वाद विचाराधीन होने से प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया गया, जिससे बाद अवलोकन अस्वीकार किया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल व ढाणी बनाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.19 का 50 गुना रूपये 9.5/– (अक्षरे साढे नौ रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक कवास एवं पटवारी बान्दरा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण